परिपत्र संख्या-डीजी-26/2018

ओम प्रकाश सिंह
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः मई 30, 2018

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि प्रदेश के ग्रामों एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के विवाद होते रहते हैं, जिसके निस्तारण में पुलिस अपनी भूमिका का निर्वाहन करती है। किन्तु पुलिस की उक्त भूमिका की एक सीमा हैं और उस भूमिका में स्थानीय स्तर पर सक्रिय योगदान के लिए यदि जनपद के सम्भ्रान्त व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जाए तो विवादों के निपटारे अधिक कुशलता से किये जा सकते हैं, जिससे आम नागरिक को थाने एवं न्यायालय जाने में होने वाली कठिनाइयों से बचने का एक विकल्प भी रहेगा। इसके साथ ही पुलिस मित्र और सामुदायिक पुलिसिंग जैसी आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण प्रणाली का व्यवहारिक सदुपयोग भी हो सकेगा।

2. कम्यूनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम से सम्बन्धित पुलिस एडवाइजरी एवं योजना समूह की बैठक में एस-7/एस-10 के सम्बन्ध में विचार-विमर्स के पश्चात सुझाव प्रस्तुत किये गये है, जो निम्नवत् हैः-

- एस-7/एस-10 के स्थान पर प्रोग्राम का नाम केवल एस-10 होना चाहिए, जिसमें मोहल्ले/गांव के लगभग 10 सम्भ्रान्त व्यक्ति होने चाहिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि के अधिकांश गांवो में जमीन सम्बन्धी विवाद या छोटे-मोटे झगडे होते है तथा टाउन एरिया, म्युनिस्पिलिटी एवं म्युनिस्पल कॉरपोरेशन के क्षेत्रों में अधिकांशतः छोटे-मोटे झगडे साम्प्रदायिक रूप लेते हैं।
- सदस्यों में गांवो के प्रधान एवं पूर्व प्रधान को उसका सदस्य अवश्य बनाये तथा अन्य सम्भ्रान्त व्यक्ति हो इन झगडों को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकते है, को सदस्य बनाया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इस कमेटी का मोटो **"गांव का झगड़ा गांव में सुलझाए, कोर्ट-कचेहरी हम क्यों जाएं"** होना चाहिए तथा शहरी क्षेत्र के मोहल्लों में इसका उद्देश्य साम्प्रदायिक सौहार्द बढाना होना चाहिए।
- बीट इंचार्ज को एक माह में एक दिन ग्राम/मोहल्ले में जाकर एस-10 की मीटिंग अवश्य करनी चाहिए। बीट इंचार्ज को एक गांव के एस-10 के सदस्यों का वाट्सएप ग्रुप बनाकर निरन्तर सम्पर्क स्थापित किये रहना चाहिए तथा समय-समय पर सदस्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि गांव में किसी प्रकार का झगड़ा होने पर उसकी सूचना तत्काल बीट इंचार्ज को दें। इस प्रकार की मीटिंग करने से छोटे-मोटे विवाद का हल संभव है। यदि हल संभव न भी हो तो कम से कम आपसी कटुता, वैमनस्यता में कमी लानी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रो में थाना स्तर पर पीस कमेटी पूर्व से ही प्रचलित है तथा त्यौहारो से पहले उनकी मीटिंग क्षेत्राधिकारियों द्वारा की जाती है, लेकिन मोहल्ले स्तर पर उक्त प्रकार की मीटिंग अधिकांशतः प्रचलन में नही है। माह में एक बार मीटिंग का छोटे-मोटे विवाद को निपटाने के साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द बढाने का प्रयास किया जाना चाहिए और यदि गांव में कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, जो प्रशंसा के योग्य है तो उसे क्षेत्राधिकारी से इस संबंध में एक प्रशंसा पत्र निर्गत कराकर दिया जा सकता है।
- इस गोष्ठी में बीट इंचार्ज द्वारा लडकियो से छेडछाड रोकना तथा शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में साफ-सफाई रखना, यातायात नियमों का पालन करना इत्यादि के बारे में प्रेरित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रो में बीट इंचार्ज द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि कोई घटना घटित होती है तो पुलिस बल के पहुँचने के पहले एस-10 के सदस्य स्थिति को नियंत्रण में रखने

का प्रयास करेगें। एस-10 का कोई भी व्यक्ति यदि किसी अपराधी को पकड़वाने में सहायता प्रदान करता है तो उसके सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जा सकता है।

- एस-10 के सभी सदस्य किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति को 107/107(3) में पाबंद न करने पर विचार किया जाए।
- ग्राम चौकीदार ऐसी गोष्ठी में अवश्य भाग लें और उन्हें भी एस-10 के सभी सदस्यों से सम्पर्क में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- सभी एस-10 के सदस्यों को क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी/बीट इंचार्ज तथा बीट कांस्टेबिल के मोबाइल नम्बर दिए जाने चाहिए।
- क्षेत्राधिकारी एस-10 के कम से कम एक सदस्य से प्रत्येक सप्ताह फोन पर बात कर लें। आगामी त्योहारों में कोई नई परम्परा प्रारम्भ न करने के सम्बन्ध में पुलिस का सहयोग करने की अपील करें।
- एस-10 के सदस्य गौकशी व अवैध पशु तस्करी के बारे में थाना प्रभारी कि अवश्य जानकारी दें। पूर्व में ही सभी साम्प्रदायिक विवादों की जानकारी एस-10 की गोष्ठी में सभी सदस्यों को दें तथा उनके बारे में विस्तृत विवरण बीट इंचार्ज अवश्य रखें। कोई भी घटना घटित होने पर उसकी मोबाइल से फोटो लेकर बीट इंचार्ज/थाना प्रभारी को देने के लिए प्रेरित करें।
- पुलिस द्वारा किये गये अच्छे कार्यो को इन गोष्ठियों में अवश्य बताएं।
- मन्दिर/मस्जिद में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर नियंत्रण के लिए एस-10 के सदस्यो को बताया जाए तथा सभी एस-10 के सदस्यों के पास मन्दिर के पुजारी एवं मस्जिद के मौलवियों का मोबाइल नम्बर अवश्य होना चाहिए।
- व्यक्तिगत रूप से एस-10 के सदस्यों को परिचय-पत्र न जारी करें, बल्कि क्षेत्राधिकारी द्वारा एस-10 के निम्नलिखित सदस्यों को निम्नलिखित प्रारूप में एक सूची दी जानी चाहिए, जो **संलग्नक-1** में दिया जा रहा है।

मै आप सबसे अपेक्षा करूँगा कि परिपत्र के साथ प्रेषित किये जा रहे प्रारूप में सूचनाओं का संकलन कर अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु अपने जनपद के अधिकारी/कर्मचारी को अवगत कराते हुए उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

30/5/18

(ओम प्रकाश सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानून एंव व्यवस्था, उ0प्र0।

संलग्नक-1

सम्भ्रान्त पुलिस मित्र (एस-10) के सदस्यों की सूची

1. ग्राम को वाद मुक्त, अपराधमुक्त तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बढाने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष-2018 के लिए सम्भ्रान्त पुलिस मित्र(एस-10)की कमेटी में रखा जाता है।

1. ग्राम
2. थाना
3. जिला
4. तहसील
5. सदस्यों के नाम

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

कार्य :-

छोटे-मोटे विवादो का समाधान, साम्प्रदायिक सौहार्द बढाना, झूठी भ्रामक बातों का खण्डन करना, जनता व पुलिस के बीच की दूरी कम करना, घटना की तत्काल जानकारी पुलिस को प्रदान करना तथा पर्यावरण, साफ-सफाई को बढावा देना।

क्षेत्राधिकारी
जनपद-